न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–01/2021/भीलवाड़ा

श्रीमति अनिता पत्नि गोविन्द जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मानपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

––अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कछोला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. दुर्गादेवी पुत्री भूरा पत्नि सोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान नायब तहसीलदार काछोला जिला भीलवाड़ा दिनांक 22.09.2020 प्रकरण संख्या 09/2020 उनवानी अनिता बनाम दुर्गादेवी में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–पुनम माथुर (अपीलांट अभि0)
आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–29.04.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भूरालाल पुत्र गोकुललाल ब्राम्हण के नाम पर ग्राम मानपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 410 में कुल आराजी 5 कुल रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज है। भूरालाल द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 07.05.2005 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलांट अनीतादेवी पत्नि गोविन्द के पक्ष में निष्पादित किया। भूरालाल की मृत्यु दिनांक 26.11.2019 को हो चुकी है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 05.06.2020 को अपीलांट द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष अपने नाम नामांतरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे सुनवाई करते हुये। दिनांक 22.09.2020 को अपने आदेश से नायब तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील की गई है। अपील के निम्न आधार बताये है–

1. भूमि स्वर्जित है या नहीं यह तय करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं था। फिर भी नायब तहसीलदार द्वारा भूमि को स्वर्जित भूमि नहीं होना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:54 IST
Reason: SelfAttested

2. बिना अपीलांट को सुने, बिना जांच किये, बिना लैण्ड रिकोर्ड रूल्स की पालना किये हुये आदेश प्रदान किया है जो कि न्याय सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

3. अपीलांट द्वारा समस्त गवाहों के शपथपूर्वक बयान करवायें। अपने निर्णय में उनका हवाला न देते हुये मात्र यह कहते हुये कि वसीयत में खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। तथा भूमि पुश्तैनी है। मुझ अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर निर्णित कर खारिज किया है। जो निरस्त योग्य है। अतः नायब तहसीलदार कछोला के निर्णय दिनांक 22.09.2020 को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार करते हुये अपीलांट के नाम नामातंरण स्वीकृत किया जाने का आदेश दिया जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया ।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से उक्त अपील प्रथमतः दिनांक 29.10.2020 को न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में प्रस्तुत की गई थी। सुप्रिम कोर्ट द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 665/2021 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 14.03.2021 तक के समय को मियाद अवधि से मुक्त किया गया है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 की अपील दिनांक 29.10.2020 को पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से संभागीय आयुक्त महोदया को पेश की थी। अतः अपील अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।

अपील प्राप्त होने पर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। रिकोर्ड तलब किया गया। रेस्पो0 नम्बर 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई, अपीलांट की ओर से एडवोकेट पूनम माथुर तथा रेस्पो0 नम्बर 1 की ओर राजकीय अभिभाषक आकाश पारीक उपस्थित हुये। बहस में वकील अपीलांट द्वारा यह बताया कि भूरालाल की बिना लाओलाद मृत्यु हो चुकी है। मरने से पूर्व उसके द्वारा एक वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में किया था। वसीयतनामा में खसरा नम्बर अंकन नहीं होने के कारण भूमि पुश्तैनी मानते हुए नामांतरण नहीं खोलकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। राजकीय अभिभाषक द्वारा बताया कि राजस्थान में प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है तथा यह भी बताया कि वसीयत में कोई खसरा नम्बर नहीं है। अतः अपीलांट सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर अपने आप को वारिस तय करवायें। राजकीय अभिभाषक द्वारा 2022(1) डीएनजे(रेवन्यु) पेज 171 रामेश्वर बनाम रामस्वरूप न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। जिसमे यह निर्णित किया गया था। कि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार के बाद भी नामातंरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। पहले सिविल न्यायालय में जाकर घोषणा प्राप्त करनी होगी। अतः अपील खारिज की जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 07.05.2005, जमाबंदी ग्राम [illegible]पुरा खाता नम्बर 446 संवत 2074–77, वर्ष 2020 मृत्यु प्रमाण पत्र भूरालाल दिनांक 20.12.2019 एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गंभीरता के साथ मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:54 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभि0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी अवलोकन किया गया। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि भूरालाल की थी उसके द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया हुआ है। भूरालाल की मृत्यु हो चुकी है। नायब तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि भूरालाल की पत्नि इंद्रबाई की भी मृत्यु हो चुकी है तथा यह भी अंकित किया है कि भूमि पैतृक है स्वर्जित नहीं है। यह भी सही है कि वसीयतनामा में कोई आराजीका अंकित नहीं किया गया है। पटवारी द्वारा दिनांक 23.07.2020 को गोकुललाल पिता मोहन ब्राम्हण के परिवार का सजरा दिया है तथा भूरालाल को लाऔलाद फोत होना बताया है। राजकीय अभि0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। जिसमें यह कहा गया है, कि **एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 135 के तहत रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामातंरण तस्दीक किया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया क्योंकि वसीयत को साबित नहीं किया गया और तहसीलदार को पुनः रिमाण्ड किया गया। सुन्दर लाल की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। घोषणा प्राप्त करने तक नामांतरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है।**

बहस बिन्दुओं , पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड, मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 23. 07.2020 पटवारी मानपुरा, रजिस्टर्ड वसीयत भूरालाल बहक अनिता दिनांक 16.12. 2004 मृत्यु प्रमाण पत्र भूरालाल जारी दिनांक 20.12.2019 जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम मानपुरा खाता संख्या 446 नया नायब तहसीलदार द्वारा जारी पत्र दिनांक 29. 06.2020 जिसमें 6 बिन्दुओं पर पटवारी हल्का रिपोर्ट मंगवायी गई थी तथा नायब तहसीलदार काछोला द्वारा दिनांक 22.02.2020 को दिये गये आदेश का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार काछोला द्वारा दो आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया–

1. अपीलांट द्वारा विवादित भूमि स्वर्जित होना सिद्ध नहीं करना।

2. मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 में मौत विरान द्वारा पुश्तैनी होना बताया मगर नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि वसीयतनामा में भूमि के आराजी नम्बर अंकित नहीं होने से एवं पटवारी हल्का द्वारा जो भूमि वसीयकर्ता के नाम जमाबंदी में दर्ज है वह पुश्तैनी होना बताया है।

जबकि नायब तहसीलदार राजस्व रिकोर्ड को अपने स्थर से रिकोर्ड रूम से प्राप्त कर यह तथ्य पता कर सकते थे कि भूमि स्वर्जित है अथवा पुश्तैनी। ग्राम वासीयान में मौका पर्चा दिनांक 23.07.2020 में बताया है कि वसीयत की गई भूमि पर कब्जाकाश्त वसीयत ग्रहिता अनिता पत्नि गोविन्द ब्राम्हण निवासी मानपुरा का ही होना बताया है तथा उक्त वसीयत को अंतिम वसीयत बताया है तथा किसी न्यायालय में स्थगन अथवा विचाराधीन कार्यवाही नहीं होना बताया अंत में बिन्दु नम्बर 6 में लिखा है किसी प्रकार का विवाद होना नहीं होना पाया जाता है। वसीयत के गवाह कैलाश चन्द्र पुत्र मोहनलाल ब्राम्हण , गोपाल पुत्र मगना तथा लिखने वाले लेखक श्याम सुन्दर पुत्र केदारलाल ब्राम्हण के द्वारा लिए गये उक्त सभी गवाहों द्वारा वसीयत दिनांक 16.12.2004 की पुष्टि की गई है तथा सभी गवाहों ने अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर कार्यवाही करने को न्यायसंगत बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:54 IST
Reason: SelfAttested

है। नायब तहसीलदार द्वारा अपने स्तर पर राजस्व रिकोर्ड की पुष्टि नहीं की साथ ही मौका पर्चा दिनांक 23.07.2020 का उचित अवलोकन किये बिना रजिस्टर्ड वसीयत होने के बावजूद अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। यह उचित नहीं है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने तथा रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार काछोला को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पुनः उचित कानूनी प्रावधानों के तहत प्रकरण में आवश्यक सुनवाई कर निर्णय प्रदान करें। अपीलांट तथा रेस्पो0 को आदेशित किया जाता है कि दिनांक ..... को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:54 IST
Reason: SelfAttested